न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 165/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 16.09.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. जोधराज पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम छीपडदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
2. धनराज पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम छीपडदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

– अपीलाण्ट्स

– बनाम–

1. रामगोपाल आत्मज गोविन्दा जाति गुसाई निवासी ग्राम छीपडदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक –अपीलांट
श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 18.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के प्रकरण संख्या 112/90 बउनवान रामगोपाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2008 के विरूद्ध अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान के साथ अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 रामगोपाल के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त जिलाधीश उपनिवेशन कोटा ने दिनांक 29.01.1976 को ग्राम छीपडदा की खसरा सं0 200/3 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित की थी तथा कब्जा दे दिया था। जिसका नामांतरकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.1986 के द्वारा खातेदारी में दर्ज की गई। किंतु बन्दोबस्त द्वारा उक्त भूमि का

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

नया खसरा सं0 276 कायम कर रकबा 1.15 है0 प्रार्थी के पक्ष में दर्ज किया जबकि प्रार्थी के खाते की भूमि का रकबा 2.40 है0 होता है। अतः उक्तानुसार रकबा 1.15 है0 के स्थान पर 2.40 है0 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 23.06.2008 पारित किया गया कि तहसीलदार दीगोद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 277 में से 0.20 है0 एवं खसरा सं0 280 में 0.19 है0 भूमि मौके पर बेशी है। जिसे प्रार्थी के खाते में दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि दिया जाना संभव नहीं होना बताया है। अतः प्रस्तावित नक्शे में लाल स्याही से अंकन के मुताबिक खसरा सं0 280 में से 0.19 है0 एवं खसरा सं0 277 में से 0.20 है0 भूमि प्रार्थी (रेस्पो0 क्र.1 रामगोपाल) के खाते की खसरा सं0 276 में शामिल करने का आदेश दिनांक 23.06.2008 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के द्वारा पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2008 से व्यथित होकर अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि रेस्पो0 क्र.1 द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम छीपडदा पटवार मण्डल छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 कि भूमि खसरा सं 200/3 की रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जो सेटलमेंट के बाद खसरा सं0 276 कि 1.15 है0 खाते दर्ज कि गई, जबकि पुराने रकबे के अनुसार 2.40 है0 दर्ज की जानी चाहिए थी। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के कब्जे व खाते की भूमि पुराने खसरा सं0 200/5 कि रकबा 10 बीघा के हाल नये खसरा सं0 277 कि रकबा 1.60 है0 भूमि स्थित है, जिसमें से उक्त प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही तथा सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट के खाते की भूमि खसरा सं0 277 की 1.60 है0 में से 0.20 है0 भूमि रेस्पो0 क्रम 1 के खाते में दर्ज करने का निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट का हित प्रभावित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि न्याय एवं सिद्धान्तो के सदा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर व अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलान्ट के खाते व कब्जे कि भूमि 20 हैक्टेयर भूमि

अति. आयुक्त
कोटा

अवैधानिक रूप् से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते मे दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून एवं न्याय के नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र को पुराने खसरा न. 200/5 कि 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर दखल दिया गया था और जिसका नया खसरा नं. 277 कि रकबा 1.60 हैक्टेयर कायम किया गया, जो कि पुराने रकबे के अनुसार 10 बीघा का था जो किसी भी प्रकार से अपीलान्ट के खाते से कम नहीं किया जा सकता है। हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 01.09.2020 को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खेत कि मेड तोड़कर 0.20 हैक्टेयर रकबा पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई तथा रेस्पोडेन्ट ने उक्त 0.20 हैक्टेयर भूमि स्वयं के खाते में दर्ज करवाया जाना बताया गया। इसके उपरांत ही दिंनाक 02.09.2020 को हल्का पटवारी से निर्णय की जानकारी होने पर अविलम्ब दिंनाक 02.09.2020 को निर्णय की प्रमाणित नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत किया जाना संभव हो सका। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी कि तिथी से अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब की अवधि का कण्डोन किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है। परन्तू अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से प्रकरण. में अपील पेश करने कि अनुमति प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2008 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रश्नगत रकबा पुनः पूर्वानुसार अपीलांट के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वाद प्रकरण को धारा 136 एलआरएक्ट में परिवर्तित कर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के खाते की

अति/सं. आयुक्त
कोटा

आराजी में से रकबा कम करके रेस्पो0 क्र. 1 के खाते दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। वादग्रस्त आराजी जो अपीलांट के खाते में दर्ज है, के संबंध में नयी एवं पुरानी जमाबंदी का रिकोर्ड अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं मंगवाया गया। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र को पुराने खसरा न. 200/5 कि 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर दखल दिया गया था और जिसका नया खसरा नं. 277 कि रकबा 1.60 हैक्टेयर कायम किया गया, जो कि बाद सेटलमेंट के भी पुराने रकबे के अनुसार 10 बीघा का था जो किसी भी प्रकार से अपीलान्ट के खाते से कम नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व रिकोर्ड की इन्द्राज दुरूस्ती पक्षकारान की सहमति से ही हो सकती है या लिपिकीय त्रुटि को ही ठीक किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा प्रश्नगत रकबा पुनः पूर्वानुसार अपीलांट के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा नियमित वाद पेश किया गया था। रेस्पो0 की प्रश्नगत रकबे के संबंध में भू–प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटि की गयी थी। वर्ष 1990 का दावा वर्ष 2008 में निर्णित हुआ। रेस्पो0 के द्वारा भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि को ही सही कराने का अनुतोष चाहा गया था। प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पो0 को अपीलांट की आराजी से कोई आपत्ति नहीं थी। यदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के द्वारा अपीलांट को नहीं सुना तो इस हेतु अपीलांट को सीपीसी में निहित प्रावधानों के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही की जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाया जावे।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना पक्षकार बनाये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किये जाने से तथा प्रश्नगत आराजी अपीलांट के खाते दर्ज होने से उक्त

अति. संभाग आयुक्त
कोटा

निर्णय से व्यथित/प्रभावित पक्षकार होना वर्णित किया गया। रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की जाकर अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 01.09.2020 को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खेत की मेड तोड़कर 0.20 हैक्टेयर रकबा पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई तथा रेस्पोडेन्ट ने उक्त 0.20 हैक्टेयर भूमि स्वयं के खाते में दर्ज करवाया जाना बताया गया। इसके उपरांत ही दिंनाक 02.09.2020 को हल्का पटवारी से निर्णय की जानकारी होने पर अविलम्ब दिंनाक 02.09.2020 को निर्णय की प्रमाणित नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत किया जाना संभव हो सका। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी की तिथी से अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब की अवधि का कण्डोन किया जावे। इसके विपरित रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अपीलांट को वर्ष 2008 से ही पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थना–पत्र धारा 5 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा संबंधित पटवारी हल्का का भी उक्त प्रार्थना–पत्र में नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.06.2008 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जाना प्रकट होता है तथा अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट का हित प्रभावित हुआ है, जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा अपीलांट के प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किये गये तथ्यों पर न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

8/9/2025
अति. आयुक्त
कोटा

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में परिवर्तित कर अपीलांट की भूमि कम की गयी। अपीलांट की भूमि कम करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक था। जिसका अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी खातेदारी की आराजी कम करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2008 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर 6 माह में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के समझ दिनांक 12.11.2025 को उपस्थित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

18/09/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा